द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1183/2013

श्री एस0खान , **– अपीलार्थी**
पत्रकार दैनिक प्रजाशक्ति प्रेस,
लिंक रोड, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री पंकज मोहन, **– उत्तरवादी क्रं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय–अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
बिलासपुर मंडल, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

श्री एस0के0 शर्मा, **– उत्तरवादी क्रं 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
बिलासपुर मंडल, (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 24/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री एस0 खान द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी क्रं0 01 श्री श्री पंकज मोहन, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, जिला बिलासपुर (छ0ग0) तथा उत्तरवादी क्रं0 02 श्री एस0के0 शर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय–मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 6.10.12 जनसूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर को प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी थी :–

''लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 023 मुंगेली में जारी कार्यों की सूची, इनके कार्यादेश, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना की छायाप्रति आज दिनांक तक कार्य की प्रगति व किये गये भुगतान की जानकारी देवें''

अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 ने यह आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0 संभाग मुंगेली, जिला मुंगेली को पत्र दिनांक 07.11.12 द्वारा अंतरित किया एवं प्रतिलिपि पृष्ठां0 क्रं0 12941 दिनांक 07.11.12 द्वारा अपीलार्थी श्री खान को दी। वांछित सूचना/जानकारी न मिलने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 21.11.

2012 मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की। फिर वांछित सूचना की प्राप्ति हेतु यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है एवं द्वितीय अपील आवेदन आयोग में 27.4.13 को प्राप्त हुआ है। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी द्वारा कोई तिथि अंकित नहीं की गई है। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आवेदन पत्र में यह लिखा है कि सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिये जाने पर जब जानकारी अप्राप्त रही तब प्रथम अपील की गई थी जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एस0के0 शर्मा ने सुनवाई हेतु 13.12.12, 5.2.13, 28.2.13, 13.3.13 की तिथि निर्धारित की थी परंतु स्वयं को अन्यत्र बताकर सुनवाई टाल दी गई यह उनकी दोषपूर्ण कार्यशैली का परिचायक है। जिससे स्पष्ट हो गया है कि वे जानकारी देना नहीं चाहते। उन्होंने जनसूचना अधिकारी श्री पंकज मोहन कश्यप एवं अपीलीय अधिकारी श्री एस0के0 शर्मा पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है। अपीलार्थी को दिनांक 6.3.14 को तथा 18.9.14 को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र भेजे गये थे परंतु अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी ने सुनवाई दिनांक 6.3.14 के संबंध में सूचित किया था कि तारीख बढ़ाई जावे पंरतु 18.9.14 के संबंध में कोई सूचना नहीं है। आयोग के प्रकरणों की तिथियों वेबसाईट पर भी दर्शित होती हैं। अतः अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जा रहा है।

प्रकरण में अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 का जवाब प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रथम अपील के बाद कार्यपालन अभियंता, मुंगेली ने उनके ज्ञापन क्रमांक 1090 दिनांक 30.3.13 द्वारा समस्त जानकारी अपीलार्थी को प्रेषित कर दी एवं प्रथम अपील मुख्य अभियंता बिलासपुर ने भी पत्र क्रमांक 4989 दिनांक 30.4.13 द्वारा आवेदक को सूचित कर प्रकरण को खारिज कर दिया। इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपियां जवाब के साथ संलग्न है। कार्यपालन अभियंता के इस पत्र दिनांक 30.3.13 के साथ अपीलार्थी को कार्यों की सूची, कार्यादेश की छायाप्रति तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विविध आमंत्रणों की सूचना की छायाप्रति और किये गये भुगतान की छायाप्रति भेजी गई हैं। मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 30.4.13 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि कार्यपालन अभियंता, लो0नि0वि0 मुंगेली संभाग द्वारा जानकारी उन्हें प्रेषित की जा चुकी है। वे दिनांक 13.3.13 को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए इसलिए यह मानते हुए कि उन्हें प्रकरण में और कुछ नहीं कहना है प्रकरण खारिज किया जाता है।

प्रकरण के अवलोकन से निम्न बातें स्पष्ट होती है :–

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण का निराकरण पत्र दिनांक 30.4.13 द्वारा किया और द्वितीय अपील उसके पूर्व ही आयोग में 27.4.13 को प्राप्त हो चुकी थी।

2. अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि प्रथम अपील का निराकरण अधिकतम 45 दिवस में यदि नहीं किया जाता है तो उसके 90 दिनों के अंदर यह द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। अपीलार्थी की प्रथम अपील का दिनांक 21.11.12 था उसके बाद उन्होंने 45 दिन प्रथम अपील के निराकरण के तथा 90 दिन द्वितीय अपील के जोड़ने पर भी यह द्वितीय अपील 15 दिवस से अधिक से समयबाधित पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने द्वितीय

अपील आवेदन में विलंब से अपील प्रस्तुत करने का न तो कोई कारण बताया है और न ही विलंब क्षमा करने की प्रार्थना की है।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील दिनांक 21.11.12 के बाद निर्धारित अधिकतम 45 दिवस की अवधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया और उसके बाद काफी बाद द्वितीय अपील की प्रस्तुती के बाद पत्र दिनांक 30.4.13 द्वारा निराकरण किया जो उचित नहीं था। अतः आदेश की प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर को एवं अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, संभाग बिलासपुर, को भी भेजी जाये कि वे भविष्य में समयावधि में प्रथम अपीलों का निराकरण किया करें। अधीक्षण अभियंता यह देखें कि आवेदन पत्र का अंतरण अधिकतम 05 दिवस में होना चाहिए था परंतु विलंब से अंतरण किया गया। भविष्य में सावधानी बरती जाये।

4. उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने द्वितीय अपील के साथ एक अन्य सूचना के मांगने के आवेदन दिनांक 6.10.2012 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। जिसमे आवक–जावक, कैश बुक बिल व्हाउचर व किये गये भुगतान की जानकारी मांगी गई थी। परंतु एक द्वितीय अपील आवेदन में एक ही अपील संभव है। अपने द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने केवल उसी आवेदन का हवाला दिया है जिसकी विवेचना ऊपर की गई है और जिसकी जानकारी उन्हें भेज दी गई है एवं इस आवेदन का कोई हवाला नहीं दिया है। अतः इस आवेदन पर विचार संभव न होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में द्वितीय अपील समयबाधित होने के कारण अग्राहय एवं अस्वीकार की जाती है। यह अलग बात है कि वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त